राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी (मुद्रांक) संख्या –1477 / 2005 / बीकानेर

सुन्दरलाल डागा पुत्र श्री चम्पालाल डागा निवासी बागडी मौहल्ला, बीकानेर .....**प्रार्थी.**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये सब रजिस्ट्रार, कोलायत
2. माईनिंग इन्जीनियर, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर
3. शुभकरण चौरडिया, नई लाईन, गंगासर , बीकानेर .....**अप्रार्थीगण.**

निगरानी (मुद्रांक) संख्या –1721 / 2005 / बीकानेर

सुन्दरलाल डागा पुत्र श्री चम्पालाल डागा निवासी बागडी मौहल्ला, बीकानेर .....**प्रार्थी.**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये सब रजिस्ट्रार, कोलायत
2. माईनिंग इन्जीनियर, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर
3. भंवर लाल नायक मृतक कांयम मुकाम प्रहलाद पुत्र श्री भंवरलाल, बीकानेर

.....**अप्रार्थीगण.**

एकलपीठ

मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वीरेन्द्र सिंह
अभिभाषक। .....**प्रार्थी की ओर से.**

श्री गिरीश पारीक
अभिभाषक। .....**प्रार्थी सं. 3 की ओर से.**

श्री अनिल पोखरना
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थी की ओर से**

निर्णय दिनांक : 04.03.2016

निर्णय

प्रार्थी निगरानीकर्त्ता ने यह दो निगरानी प्रार्थना पत्र कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर द्वारा प्रकरण सं. 135 / 2000 एवं प्रकरण सं. 66 / 2002 में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 03.12.2001 एवं 31.01.2003 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 56 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये। दोनों प्रकरणों में समान विधिक बिन्दु निहित होने से एक ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैः–

1. प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी सं. 3 द्वारा ग्राम गुढ़ा, तहसील कोलायत की खनन लीज हस्तान्तरण विलेख क्रमशः दिनांक 24.11.1999 एवं 29.12.1997 को निष्पादित कर

04/03/16

लगातार.....2

पंजीयन हेतु उपपंजीयक, कोलायत (बीकानेर) के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उपपंजीयक, कोलायत ने उक्त लीज पत्रों को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 63 के अनुसार **"ट्रॉन्सफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट"** की श्रेणी का मानते हुए हस्तान्तरित भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार मुद्रांक कर जमा कराने के निर्देश दिये। प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार मुद्रांक कर जमा नहीं कराने पर मूल दस्तावेज निरूद्ध (Impound) कर रेफरेन्स प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर को क्रमशः दिनांक 24.02.2000 एवं 25.01.1998 को प्रेषित किये गये।

2. कलक्टर (मुद्रांक) ने पक्षकारों को सुनने एवं रेकॉर्ड का परीक्षण कर उपपंजीयक, कोलायत द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को सही माना एवं निर्णय दिनांक 03.12.2001 एवं निर्णय दिनांक 22.09.1998 में मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क आदि के रूप में क्रमशः 2,05,000/–रूपये एवं 1,87,000/–रूपये वसूलने का आदेश पारित किया। निर्णय दिनांक 22.09.1998 के विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं. 494/98 प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 02.01.2002 को हुआ। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी की एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 02.01.2002 से कलक्टर (मुद्रांक) का निर्णय दिनांक 22.09.1998 अपास्त कर दोनों पक्षों को समुचित सुनवायी का अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय में केवल सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिये गये। अन्य गुणावगुण पर कोई टिप्पणी माननीय न्यायालय ने नहीं की। इसी प्रतिप्रेषित प्रकरण को कलक्टर (मुद्रांक) ने उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान कर निर्णय दिनांक 31.01.2003 से निर्णित किया एवं लीज प्रपत्र को **"हस्तान्तरण विलेख"** मानकर कमी मुद्रांक/कमी पंजीयन शुल्क व शास्ति आदि सहित 2,00,000/–रूपये प्रार्थी से वसूलने के आदेश दिये। उक्त निर्णयों दिनांक 03.12.2001 एवं 31.01.2003 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्रों में मुख्यतः इस बिन्दु पर कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णयों को चुनौती दी कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बजाज हिन्दुस्तान लि. बनाम राजस्थान राज्य RLW 1997(2) पृष्ठ 891 में निर्णय पारित कर अवधारित किया है कि खनन लीज हस्तान्तरण की दशा में मूल्यांकन बाजार मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता। कलक्टर (मुद्रांक) ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.1997 को आधार बनाकर लीज में उल्लेखित भूमि के

04/05/16

लगातार.....3

बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक कर गणना की है। जबकि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 में प्रावधान कर दिये है कि खनन लीज के हस्तान्तरण की दशा में देय मुद्रांक कर की गणना बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराया (डेड रेन्ट) का दुगना, प्रतिभूति राशि, हस्तान्तरण शुल्क एवं मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत व अन्य विविध व्यय को जोड़कर की जायेगी।

अतः कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा डी.एल.सी. दर की तीन गुणा दर से मूल्यांकन कर जो मुद्रांक कर वसूलने का आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है।

4. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री गिरीश पारीक एवं राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरना की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना सं. प.2(18)वित्त/कर/96–42 दिनांक 24.08.2007 जारी कर निम्न प्रावधान खनन लीज हस्तान्तरण बाबत् किये गये हैः–

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर दिनांक 24.08.2007

राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम, 1998 (1999 का राजस्थान अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96 दिनांक 10.05.2001 को अधिक्रमित करते हुये राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती हैं कि :–

1. खान विभाग द्वारा निष्पादित नई खनन लीज डीड तथा खनन लीज के नवीनीकरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटा कर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराया (डेडरेन्ट) की दुगुनी राशि, प्रतिभूति की राशि एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर कुल प्रतिफल की राशि पर उक्त लिखत (Insturment) हेतु निर्धारित मुद्रांक कर की दर से देय होगा।

2. खान विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटा कर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराया (डेडरेन्ट) की दो

लगातार.....4

04/03/16

गुना, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शुल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर कुल प्रतिफल, के रूप में संदत्त राशि पर उक्त लिखत (instrument) हेतु निर्धारित मुद्रां कर की दर से देय होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 03.12.1997 से प्रवृत्त होगी, परन्तु उक्त प्रकार के किसी भी मामले में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर का प्रतिदाय (refund) देय नहीं होगा।

(प.2(18)वित्त/कर/96–42)
राज्यपाल के आदेश से
एस.डी.
(अश्विनी भगत)
शासन उपसचिव

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की एकलपीठ द्वारा निगरानी सं. 676/2005 (3233/05)/बीकानेर में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2007 की प्रति भी प्रस्तुत की। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2007, दिनांक 03.12.1997 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी की गयी है। प्रार्थी के लीज दस्तावेज 29.12.1997 व 24.11.1999 की तिथि से प्रस्तुत व निष्पादित है। अतः उक्त अधिसूचना प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पुरी तरह लागू होती है। निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अधिसूचना दिनांक 24.08.2007 को कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय तिथियों क्रमशः 03.12.2001 एवं 31.01.2003 को अस्तित्व में नहीं होने एव राज्य सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के भूतलक्षी प्रभावी न होने व प्रार्थी के लीज प्रलेख वर्ष 2000 से पूर्व के होने के कारण कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर द्वारा तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार उचित निर्णय पारित करना बताया। चुंकि अधिसूचना दिनांक 24.08.2007 को 03.12.1997 से प्रभावी किया गया है। अतः उन्होंने अधिसूचना का अवलोकन करने के पश्चात् कोई विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन, रेकॉर्ड का परीक्षण एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.08.2007 प्रभावी तिथि 03.12.1997 का अध्ययन करने के उपरान्त पीठ का यह स्पष्ट मत है कि प्रार्थी के प्रकरण में अधिसूचना के बिन्दु सं. 2 के प्रावधान पूर्णतः लागू होते है। अतः उक्त विवेचन अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 03.12.2001 व 31.01.2003 अपास्त किये जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाकर निर्देश दिये जाते है कि संदर्भित अधिसूचना

लगातार.....5

दिनांक 24.08.2007 के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का निर्धारण कर दस्तावेज पंजीयन की कार्यवाही की जावें। तद्नुसार निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है।

प्रकरणों का निस्तारण निर्णय की प्रति व मूल पत्रावलियां प्राप्त होने के 30 दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

निर्णय सुनाया गया।

04/05/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य